




फर्द अहकाम (नियम-26)

अज अदालत (नियम-26) नियम
 रूपी देवी वगैरे बनाम सीता देवी वगैरे
 किसम मुकदमा 81.8.12 नं. 333 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्ट के वकील श्री <u>चेलाराम कुमावत</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>81</u> राजस्थान काश्तकारी भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/ररेस्पोंडेंट को नोटिस/सम्मन की प्रति जरिये रजिस्टर्ड ए.डी के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/जवाबदावा दिनांक <u>28.1.22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (नियम-26) मुख्य अधिकारी बालोतरा </p>	
28/1/22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों के कारण होने से पत्रावली दिनांक <u>20/1/22</u> को पेश हो!</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
29/1/22	<p>गर्मीनी के वकील के प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को जरिये सिद्धे स्वार्थिक करने का निर्देश किया गया। गर्मीनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जरिये निर्देश गर्मीनी के प्रार्थना पत्र को स्वार्थिक किया जाता है। पत्रावली के लिए सुनवाई के लिए नम्बर के कर है।</p> <p style="text-align: center;">  (नियम-26) सहायक कमिश्नर (S.D.O) बालोतरा </p>	

